न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया RAS

GCMS संख्या – 2023/161

प्रकरण संख्या – 49/23

अनवान

1 श्री दावरिया उर्फ दावद पुत्र नाथु मीणा निवासी अमरपुरा जागीर हाल तहसील कानोड़ जिला उदयपुर राज।

_____प्रार्थी

बनाम्

1 श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

2 श्री रामचन्द्र पुत्र भेरा जी जाट निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

____________विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी.

निर्णय

दिनांक : 29.08.2025

1. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा.दी. के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 2 ने राजस्व ग्राम मौजा अमरपुरा जागीर की आराजी संख्या 90 रकबा 5 बिघा 12 बिस्वा का एक वाद बाबत् घोषणा का प्रस्तुत किया जिसको माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.1994 को डिक्री कर दिया गया जिससे असन्तुष्ट हो प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहा प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 26.11.2001 के द्वारा अपील निरस्त कर दी गई। यह कि प्रार्थी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 26.11.2001 के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में प्रस्तुत की गई जिसकी अपील संख्या 134/2002/उदयपुर है। उक्त द्वितीय अपील को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 12.02.2005 को स्वीकार करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिये कि "दावा एव जवाब दावा के आधार पर वाद में तनकीयात कायम कर उभय पक्ष को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:01 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर कागजी तनकीयात पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें तथा पेशी दिनांक 12.03.2009 को अधीनस्थ में उपस्थिति देने बाबत् पक्षकारों का निर्देशित किया गया।

2. यह कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के निर्णय के पश्चात उक्त प्रकरण पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के यहां दर्ज किया गया तत्पश्चात् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.05.2021 द्वारा उपखण्ड कार्यालय, भीण्डर के क्षेत्राधिकार में आने वाली तहसीलों से संबंधित प्रकरणों को माननीय सहायक कलक्टर भीण्डर को प्रेषित किये गये है जिस पर माननीय सहायक कलक्टर भीण्डर द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 17.01.2022, 18.04.2022 व 09.06.2022 को की गई तथा दिनांक 25.08.2022 को अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित होने व वादी द्वारा किसी तरह से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है जिसकी कोई अपील, निगरानी अथवा प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में विपक्षी संख्या 2 द्वारा न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है। यह कि उक्त प्रकरण में विवादित आराजीयात माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के निर्णय के पश्चात ही विपक्षी संख्या 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत तरीके से वादग्रस्त आराजीयात अपने नाम पर खाते करवा ली गई।

3. यह कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय के द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को अपास्त कर दिया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के आधार पर विपक्षी संख्या 2 के नाम पर नामान्तकरण की कार्यवाही कर वादग्रस्त जमीन विपक्षी संख्या 2 के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई है उसे पुनः प्रार्थी के नाम पर दर्ज कराया जाना आवश्यक है यानि वादग्रस्त आराजीयात की पूर्व की स्थिति बहाल की जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम अमरपुरा जागीर में स्थित आराजी संख्या 90 रकबा 5 बिघा 12 बिस्वा भूमि का विपक्षी संख्या 2 का नाम हटाया जाकर प्रार्थी के नाम पर पूर्ववत् राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये विपक्षी को नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत वाद को आप माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2022 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था किन्तु तत्पश्चात विपक्षी संख्या 2 द्वारा उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:01 IST
Reason: SelfAttested

आप माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः नियमानुसार सुनवाई हेतु नम्बर प्रकरण संख्या 60/2023 रे वाद होकर आगामी पेशी वादी की जिरह हेतु दिनांक 25.04.2024 को नियत है। इस कारण इस कलम मे अंकित यह कथन अस्वीकार है कि वाद के अदम हाजरी मे खारिज होने के पश्चात किसी भी न्यायालय मे कोई भी कार्यवाही विचाराधीन नही हो। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 जिस प्रकार से अंकित की गई है। अस्वीकार है। यह गलत है कि विपक्षी संख्या 2 ने मिलीभगत कर गलत तरीके से वादग्रस्त आराजीयात को अपने नाम खाते करवाई हो। जबकि वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त आराजीयात को माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में डिक्री फलस्वरूप राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया है।

5. यह कि वादग्रस्त आराजीयात को माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया है किन्तु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण को सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित किया गया है न की प्रार्थी के पक्ष में वाद को खारिज किये जाने की डिक्री पारित की गई है। इस कारण वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 2 के नाम से हटया जाकर पुनः प्रार्थी के नाम अंकित किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह कि हस्तगत प्रकरण में अंकित वादग्रस्त आराजीयात को प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 03.06.1955 अर्थात राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के पूर्व ही विक्रय किया जाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। जिसको आज तक करीब 69 वर्ष हो चुके है। इस कथन को विपक्षी संख्या 2 द्वारा पूर्व में आप माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया तथा अदालत में आकर बयान भी दिये गये किन्तु बाद में प्रार्थी की नियत में बेईमानी एवं खोट आ जाने से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष वो अपने कथन से मुकर गया। मात्र इसी आधार पर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है। जिस कारण से भूमि को प्रार्थी के नाम अंकित किये जाने का कथन समन्याय के सिद्धान्त के आधार पर उचित नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। यह कि प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत है। इस कारण अब इस स्तर पर राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कराये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ... के माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय के ... को अपास्त कर दिया गया है एवं विपक्षी संख्या 2 ने मिली भगत के आधार ... वादग्रस्त भूमि को अपने नाम अंकित करवा लिया है, जिससे धारा 144 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:01 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 2 के नाम से हटाया जाकर प्रार्थी के नाम अंकित किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 की ओर से मुख्यतया दो बिन्दुओं पर निवेदन किया जाकर बताया गया कि प्रथम तो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विपक्षी संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत वाद को अंतिम रूप से खारिज नहीं किया है न ही विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पारित डिक्री को निरस्त किया है। जिससे डिक्री आज भी प्रभाव में है एवं चूंकि भूमि डिक्री की पालना में विपक्षी संख्या 2 के नाम अंकित की गयी है, जिससे वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी के नाम अंकित नहीं किया जा सकता है।

8. द्वितीय विधिक बिन्दु विपक्षी संख्या 2 की ओर से यह उठाया गया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 144 जा.दी. के अन्तर्गत दिनांक 25–01–2023 को प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 12–02–2009 को पारित किया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के 14 वर्ष पश्चात प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र धारा 144 जा.दी. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने की अवधि मयाद अधिनियम के अन्तर्गत 12 वर्ष ही है। जिससे यह प्रार्थना पत्र मियाद के बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 की ओर से हमारे समक्ष न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1965 सुप्रिम कोर्ट पेज 1477 एवं ए.आई.आर. 1979 इलाहाबाद पेज 63 प्रस्तुत किये जाकर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 ने निवेदन किया कि धारा 144 जा.दी. के प्रार्थना पत्रों की पालना को डिक्री के निष्पादन के अनुसार ही माना जावेगा। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

9. हमारे पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1965 सुप्रिम कोर्ट पेज 1477 में यह स्पष्ट किया गया है धारा 144 जा.दी. के प्रार्थना पत्रों में सहायता प्राप्त करने के लिए मियाद अधिनियम लागू होगा एवं यह भी निर्धारित किया गया कि धारा 144 जा.दी. के प्रार्थना पत्र विविध की श्रेणी में आयेंगे जबकि जा.दी. में डिक्री की पालना के लिए अलग से प्रावधान है। इस ... मियाद अधिनियम लागू होने से यह प्रार्थना पत्र अवधि पार है। ए.आई.आर. 1979 इलाहाबाद पेज 63 में माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त को अपनाते हुए यह दर्शाया गया है कि धारा 144 जा.दी. के प्रार्थना पत्र का निष्पादन के लिए आर्टिकल 136 मियाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:01 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम के अन्तर्गत 12 वर्ष की मियाद निहित है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह निर्धारित किया गया कि "The above observation of the supreme court leave no room for any doubt that when a party makes an application for restitution under s. 144 of the code. He is executing a decree to carry into effect the terms of the decree passed by the court. In executing of an ex parte decree possession is handed over to the decree holder and if the ex parte decree is set aside it is open to the judgment - debtor to apply for the restitution as he is entitled to restoration of possession as benefit accruing to him under the order setting aside the decree. Thus in substance an application for restoration amounts to execution of order of the court. Article 136 provides period of limitation of 12 years for the execution of a decree.

11. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्पष्टया मयाद बाहर है। वर्तमान में वाद भी विचाराधीन होकर साक्ष्य हेतु नियत है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जा. दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:01 IST
Reason: SelfAttested